कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–8/स्थानांतरण/2020-21 दिनांक– 09.02.2021 के तहत् वैशाली शर्मा व्याख्याता, अर्थशास्त्र राउमावि महामंदिर, (220393) जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि. टिंवरी (219007) जोधपुर किया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध वैशाली शर्मा द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 2866/21 वैशाली शर्मा, बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर व अन्य दायर की गई। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 17/02/2021 में याचिकार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष याचिका के आधार पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एंव प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना याचिकार्थी को देने के आदेश पारित किये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर राउमावि. कालीबेरी जोधपुर में व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी का स्थानांतरण जोधपुर जिले में ही किया गया है किसी अन्य जिले में नहीं। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए स्थान पर वर्तमान में अन्य कार्मिक कार्यरत है। अतः इनकी सेवानिवृति पश्चात 15 दिवस की समयावधि के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन पर परिस्थितिनुसार विचार किया जावेगा। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में वांछित स्थान पर समायोजन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/वैशाली या.स.2866/21/अभ्यावेदन/20–21 दिनांकः–25-02-2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
03. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को सूचनार्थ।
04. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
05. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
06. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
07. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)